न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2018/00045

1. श्रीमती जाना बाई बेवा उद्दा जाति माली निवासी ग्राम अडीला तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
2. भैरूलाल
3. रामदयाल पिसरान स्वर्गीय उद्दा जाति माली निवासीगण ग्राम अडीला तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
4. श्रीमती बजरंगी बाई पुत्री स्वर्गीय श्री उद्दा जी पत्नी श्री धन्ना लाल जी जाति माली निवासी ग्राम अडीला तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
5. धापू बाई पुत्री स्वर्गीय श्री उद्दा जी पत्नपी श्री बालकिशन जाति माली निवासी ग्राम अडीला तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
6. श्रीमती मंजू बाई पुत्री स्वर्गीय श्री उद्दा जी पत्नी श्री प्रहलाद जी जाति माली निवीस ग्राम अडीला तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
7. श्रीमती गुलाब बाई पत्नी स्वर्गीय श्री गिरधारी जाति माली निवासी ग्राम अडीला तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
8. श्रीमती मनभर पुत्री स्वर्गीय श्री गिरधारी पत्नी श्री राजू लाल जाति माली निवासी ग्राम अरनेठा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
9. हीरालाल दत्तक पुत्र गिरधारी जाति माली निवासी ग्राम अरनेठा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती कजोडी बाई बेवा स्व0 रामेश्वर जाति माली निवासी अडीला तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
2. मुकेश कुमार आत्मज स्वर्गीय रामेश्वर जाति माली निवासी अडीला तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
3. सुरेश कुमार
4. अनिता पिसरान स्वर्गीय श्री रामेश्वर नाबालिगान जरिये बविलायत माता स्वयं रेस्पोडेन्ट कम 01 श्रीमती कजोडी बाइ विधवा पत्नी श्री रामेश्वर जाति माली निवासी अडीला तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
5. गिरिराज आत्मज रामरतन जाति माली निवासी ग्राम अडीला तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
6. गोपाल आत्मज श्री लाल जाति माली निवासी अडीला तहसील के0 पाटन जिला बून्दी
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार के0 पाटन जिला बून्दी ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री महेश शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 27.11.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.10.2017 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 01 लगायत 5 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 92, 53 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम अडीला तहसील के0 पाटन जिला बून्दी में कुल 03 किता की रकबा 32 बीघा 04 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि धूला वल्द किशना के एकाकी खाते की भूमि है । इसी प्रकार धूला पुत्र किशना एवं धूला के भाई श्रीलाल के पुत्र गोपाल के संयुक्त खातेदारी में ग्राम अडीला में कुल 16 किता की 13 बीघ 08 बिस्वा भूमि स्थित है । वादग्रस्त आराजी में से धूला के खाते की 32 बीघा 04 बिस्वा भूमि में मृतक श्री रामरतन पुत्र धूला का 1/3 हिस अर्थात 10 बीघा 15 बिस्वा तथा धूला एवं गोपाल की शामलाती खाते वाली भूमि 13 बीघा 08 बिस्वा में से 1/6 भाग के हकदार हैं और वादीगण रामरतन मृतक के पुत्र होने के कारण रामरतन मृतक के उक्त हिस्से के हकदार हैं । 32 बीघा 04 बिस्वा में आपसी पारिवारिक व्यवस्था के अनुसार रामरतन के जीवनकाल में ही रामरतन व उनके पश्चात् वादीगण काम करते चले आ रहे है । खसरा नम्बर 462 रकबा 01 बिस्वा भूमि पर खलिहान का शामलाती उपयोग है । इसी प्रकार धूला की गोपाल प्रतिवादी के शामिल की भूमि के 1/6 भाग पर भी वादीगण धूला के मरने के बाद से काबिज चले आ रहे हैं । उक्त भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण क्रम 1 व 2 के मध्य विधिवत विभाजन नहीं हुआ । ऐसी स्थिति में उक्त भूमि पर बाला, बाला प्रतिवादीगण उद्धा व गिरधारी द्वारा धूला के सन् 1971 में एवं वादीगण के पिता रामरतन के स्वर्गवास हो जाने के उपरानत सन् 1975 में वादीगण की बिना जानकारी के उक्त भूमि उद्धा व गिरधारी के नाम पर हिस्सा बराबर अंकित करवा ली गई । उक्त अंकन की जानकारी मिलने पर उपखण्ड अधिकारी बून्दी के न्यायालय में अन्तर्गत धारा 88, 92 एवं 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाद पेश किया था । पटवारी हल्का द्वारा राजस्व अभियान में इन्द्राज दुरूस्ती की कार्यवाही की गई जिसके अनुसार वादीगण के पिता रामरतन का फोती का अंकन करते हुए वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के नाम इन्द्राज दुरूस्ती की जाकर नामान्तरकरण में हिस्सा 1/3 से अंकित कर दिया । इस अंकन के बाद सन् 1986 में वादीगण को उक्त समस्त भूमि में 1/3 हिस्से के हकदार मानते हुए आराजी खसरा नम्बर 749 रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 751 रकबा 07 बीघा 17 बिस्वा पर काबिज मानते हुए समझौता कर दिया । सन् 1983 में नामान्तरकरण के आधार पर 1/3 भाग के लिये जमाबन्दी में नाम अंकित हो चुका था जिससे वादीगण ने उक्त वाद को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज करवा लिया । प्रतिवादीगण द्वारा सन् 1983 के उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध अतिरिक्त जिलाधीश बून्दी के समक्ष अपील प्रस्तुत की । उक्त अपील में मौखिक रूप से यह, तय हुआ कि अपील इस राजीनामे से प्रभावहीन हो गई है उसे प्रतिवादीगण खारिज करवा लेंगे । इस कारण वादीगण उस अपील में उपस्थित नहीं हुए और

उनके विरूद्ध सन् 1989 में एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए निर्णित कर दी जिसकी जानकारी वादीगण को हुई तो उन्होंने एकपक्षीय कार्यवाही को निरस्त करने बाबत् प्रार्थना पत्र पेश किया किन्तु उक्त प्रार्थना पत्र को सन् 1990 में खारिज कर दिया गया । अतिरिक्त जिलाधीश बून्दी के आदेश की अपील माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त महोदय में विचाराधीन है । प्रतिवादीगण दिनांक 31.05.1986 को किये गये राजीनामे से मुकर कर वादीगण को वादग्रस्त आराजी से बेदखल करने पर आमादा हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है । वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वे अपने आपको उक्त वादग्रस्त आराजी में 1/3 हिस्से के खातेदार घोषित करावे।

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी में वादीगण को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर वादपत्र की चरण संख्या 04 में व्यक्त अनुसार वादीगण के कब्जे की भूमि का वादीगण एकाकी खातेदार कृषक घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर पृथक से लगान कायम किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि खसरा नम्बर 751 व 749 की भूमि वादीगण के कब्जे काश्त में दखल न डाले तथा प्रतिवादी क्रम 04 नामान्तकरण करके पक्षकारान की स्थिति नहीं बदलें ।

4. प्रतिवादीगण ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादीगण के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादीगण का वादपत्र खारिज करने कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 23.10.2017 के द्वारा वाद वादीगण स्वीकार कर विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित कर दी ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.10.2017 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादी मृतक रामेश्वर एवं वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 05 गिरिराज द्वारा प्रस्तुत दावा डिक्री करने में त्रुटि की है । वादग्रस्त आराजी में वादीगण रेस्पोडेन्ट का कोई हक एवं अधिकार नहीं है और न ही कब्जा है । वादग्रस्त आराजी से रेस्पोडेन्टगण के हक–हकूक समाप्त हो चुके हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को शहादत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही उसकी शहादत बन्द करने में त्रुटि की है । अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी के खातेदार काश्तकार हैं और सम्पूर्ण भूमि पर काबिज काश्त हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.10.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादी मृतक रामेश्वर एवं वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 5 गिरिराज के द्वारा एक दावा हक घोषणा विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया गया था जिसको डिक्री करने में अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है । वादीगण रेस्पोडेन्ट क्रम 1 लगायत 5 के अधिकार

वादग्रस्त आराजी में समाप्त हो चुके हैं । कब्जा प्राप्त करने की अवधि समाप्त हो चुकी है । अपीलान्ट प्रतिवादीगण को शहादत पेश करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । शहादत बन्द करने में त्रुटि की है । प्रतिवादी अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी के खातेदार काश्तकार हैं और काबिज काश्त हैं । तनकीयात का विवेचन त्रुटिपूर्ण रूप से किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.10.2017 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरडी 1989 पेज 150 उद्धरत की ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्टगण ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा पेश कर यह कथन किया था कि रामेश्वर और गिरिराज के पिता रामरतन जी स्व0 उद्धा, गिरधारी पिसरान धोला के पुत्र हैं । धूला पुत्र किशना के खाते में ग्राम अडीला की कुल 03 किता की 32 बीघा 04 बिस्वा आराजी और धूला पुत्र किशनलाल और श्रीलाल पुत्र गोपाल के बराबर हिस्से में कुल 16 किता की 13 बीघा 08 बिस्वा आराजी ग्राम अडीला में स्थित है । धूला के एकाकी खाते की आराजी में रामरतन का 1/3 हिस्सा निहित था । धूला और गोपाल जी के संयुक्त खाते की आराजी में रामरतन का 1/6 हिस्सा निहित था । वादीगण रामरतन के पुत्र हैं और पारिवारिक व्यवस्था के अनुसार रामरतन के हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं । रामरतन की मृत्यु के बाद सन् 1975 में वादीगण के जानकारी के बिना उद्धा और गिरधारी ने समस्त आराजी अपने नाम दर्ज करवा ली । वादीगण द्वारा जिला कलक्टर को नोटिस दिया गया और प्रतिवादीगण के खिलाफ उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में हक घोषणा एवं विभाजन का दावा पेश किया । दौराने दावा राजस्व अभियान में नामान्तरकरण के माध्यम से इंतकाल दुरूस्त करते हुए वादीगण के पिता का 1/3 हिस्सा अंकित किया गया । नामान्तरकरण तहसीलदार के द्वारा तस्दीक दिनांक 28.01.1983 को किया गया । चूँकि वादीगण का नाम 1/3 हिस्से में दर्ज हो चुका था । इस कारण उन्होंने दावा अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज करवा लिया । उद्धा और गिरधारी ने नामान्तरकरण के विरूद्ध अतिरिक्त जिलाधीश बून्दी के समक्ष अपील पेश की थी। पक्षकारों में यह तय हुआ कि अपील अब प्रभावहीन हो चुकी है उसे अब प्रतिवादीगण खारिज करवा लेंगे परन्तु प्रतिवादीगण ने एक पक्षीय रूप से अपने पक्ष में निर्णय करवा लिया । रेस्पोडेन्ट वादीगण को जैसे ही यह जानकारी हुई उन्होंने एकपक्षीय कार्यवाही को निरस्त करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया परन्तु यह प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया । वादीगण की अपील संभागीय आयुक्त महोदय के यहॉ विचाराधीन है । वादीगण 1/3 हिस्से पर काबिज हैं जिसमें प्रतिवादीगण जबरन हस्तक्षेप करते हैं । वादी ने अपने दावे को दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से प्रमाणित किया है। कब्जे के समर्थन में सिंचाई की रसीदें पेश की हैं । वादग्रस्त आराजी उद्धा के नाम दर्ज थी । संयुक्त खाते की आराजी में एक सहखातेदार को कब्जे से बाहर नहीं माना जा सकता । वादीगण ने अपने कब्जे को दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित किया है । अपीलान्ट द्वारा उद्धरत नजीरें इस प्रकरण पर लागू नहीं होती है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.10.2017 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादी के द्वारा दस्तावेजात में नकल जमाबन्दी संवत् 2037–2039 प्रदर्श– 1 पेश किया है जिसके अनुसार कुल 03 किता की 32 बीघा 04 बिस्वा उद्धा और गिरधारी के खाते में दर्ज है और इसमें नामान्तरकरण संख्या 375 और 376 का नोट

अंकित है जिसके अनुसार रामेश्वर, गिरिराज पिसरान रामरतन मु0 लक्ष्माबाई बेवा रामरतन हिस्सा 1/3 दर्ज किया गया है और खाता संख्या 06 नया की कुल 16 किता की 13 बीघा 08 बिस्वा आराजी नामान्तरकरण संख्या 375 और 376 के द्वारा 1/ हिस्से में रामेश्वर, गिरिराज पिसरान रामरतन और लक्ष्मी बाई बेवा रामरतन हिस्सा बराबर व उद्धा गिरधारी पिसरान धूला का नाम 1/2 हिस्से में और गोपाल पुत्र लाल्या का नाम 1/2 हिस्से में दर्ज किया गया है । नकल नामान्तरकरण संख्या 375 प्रदर्श– 3 पेश किया है जिसके अनुसार कुल 16 किता की 13 बीघा 08 बिस्वा आराजी उप जिलाधीश के आदेश दिनांक 28.01.83 की पालना में रामरतन, उद्धा, गिरधारी पिसारान धूला हिस्सा 1/2 व गोपाल पुत्र लाल्या हिस्सा 1/2 दर्ज किया गया है । रसीदें सिंचाई विभाग प्रदर्श– 3 , 4 व 5 तहरीर दिनांक 31.05.86 प्रदर्श–6, नकल नामान्तरकरण संख्या 376 प्रदर्श–7 पेश किया है जिसके अनुसार रामरतन के स्थान पर रामेश्वर , गिरिराज पिसरान रामरतन एवं लक्ष्मी बाई बेवा रामरतन हिस्सा 1/3 खाता सख्या 05 की आराजी में दर्ज किया गया है और खाता संख्या 06 की आराजी में भी रामरतन के स्थान रामेश्वर, गिरिराज और लक्ष्मीबाई का नाम दर्ज किया गया है । नकल जमाबन्दी संवत् 2036–39 प्रदर्श–8 पेश किया है जिसके अनुसार कुल 03 किता की 32 बीघा 04 बिस्वा भूमि उद्ध, गिरधारी पि0 धूला के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है और इसमें नामान्तरकरण संख्या 375 और 376 का नोट अंकित किया गया है । नकल जमाबन्दी संवत् 2046–49 नया खाता संख्या 210 प्रदर्श– 9 पेश किया है जिसके अनुसार कुल 05 किता की 02 बीघा 04 बिस्वा आराजी रामेश्वर, गिरिराज पिसरान रामरतन लक्ष्मा बाई बेवा रामरतन के खाते में दर्ज है। नकल जमाबन्दी संवत् 2033–36 प्रदर्श– 12 पेश किया है जिसके अनुसार कुल 03 किता की 32 बीघा 04 बिस्वा में उद्धा, गिरधारी पिसरान धूला सहखातेदार दर्ज हैं। नकल जमाबन्दी संवत् 2029–32 प्रदश– 13 पेश किये गये है ।

11. प्रतिवादी द्वारा दस्तावेजात में तहरीर दिनांक 01.08.1970 प्रदर्श– ए–1, निर्णय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) दिनरांक 09.05.89 प्रदर्श– ए–2, अतिरिक्त जिला कलक्टर का निर्णय दिनांक 10.09.1990 प्रदर्श– ए–3, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा का निर्णय दिनांक 04.10. 1994 प्रदर्श– ए–4, सहायक कलक्टर का आदेश दिनांक 30.09.1986 प्रदर्श–ए–5, उपखण्ड अधिकारी, बून्दी के न्यायालय में पेश अन्तर्गत धारा 88 के दावे की प्रति प्रदर्श–ए–6 पेश किये गये हैं ।

12. बयान वादी गिरिराज पीडब्ल्यू– 1, राजू पीडब्ल्यू–2 कराये गये हैं ।

13. वादीगण द्वारा अपने दावे की चरण संख्या 01 में यह कथन किया है कि वादीगण रामरतन के पुत्र हैं और रामरतन उद्धा, गिरधारी, धूल्या के पुत्र थे । चरण संख्या 01 में वर्णित तथ्यों को प्रतिवादीगण कम 1 लगायत 3 के द्वारा स्वीकार किया गया है । जवाबदावे की चरण संख्या 2 में उनके द्वारा यह कथन किया गया है कि रामेश्वर एवं गिरिराज के पिता रामरतन, धूला के पुत्र थे परन्तु वो अलग रहने लग गये थे । प्रतिवादीगण कम 1 व 2 धूला के साथ रहते थे । प्रतिवादी कम 1 व 2 की आमदनी से प्राप्त राशि से आराजी कय की गई थी और धूला जी के नाम कय की गई थी । इस प्रकार दावे एवं जवाबदावे के तथ्यों से यह स्पष्ट है कि रामरतन जी धूला के पुत्र थे इस नाते उनका वादग्रस्त आराजी में हित–निहित था ।

14. पत्रावली पर संलग्न नकल जमाबन्दी प्रदर्श– 1 के अनुसार खाता संख्या 05 की 32 बीघा 04 बिस्वा आराजी में रामरतन के वारिस होने के नाते वादीगण का 1/3 हिस्सा निहित है और

खाता संख्या 06 की आराजी कुल 16 किता की 13 बीघा 08 बिस्वा में उद्धा और गिरधारी तथा वादीगण का 1/2 हिस्सा निहित है । अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक द्वारा उद्वरत नजीर आरआरडी 1989 पेज 150 यहॉ चस्पा नहीं होती है क्योंकि वादग्रस्त आराजी संयुक्त खाते की है और संयुक्त खाते की आराजी में एक सहखातेदार का कब्जा दूसरे सहखातेदार के कब्जे के विपरीत नहीं होता है । वादीगण के द्वारा कब्जे की मांग नहीं की गई है वरन् उनके द्वारा हक घोषणा, विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता चाही है । तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा वादी डिक्री कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है ।

15. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.10.2017 बहाल रखा जाता है ।

16. निर्णय आज दिनांक 27.11.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

27/11/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2018/00045

1. श्रीमती जाना बाई बेवा उद्दा जाति माली निवासी ग्राम अडीला तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
2. भैरूलाल
3. रामदयाल पिसरान स्वर्गीय उद्दा जाति माली निवासीगण ग्राम अडीला तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
4. श्रीमती बजरंगी बाई पुत्री स्वर्गीय श्री उद्दा जी पत्नी श्री धन्ना लाल जी जाति माली निवासी ग्राम अडीला तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
5. धापू बाई पुत्री स्वर्गीय श्री उद्दा जी पत्नपी श्री बालकिशन जाति माली निवासी ग्राम अडीला तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
6. श्रीमती मंजू बाई पुत्री स्वर्गीय श्री उद्दा जी पत्नी श्री प्रहलाद जी जाति माली निवीस ग्राम अडीला तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
7. श्रीमती गुलाब बाई पत्नी स्वर्गीय श्री गिरधारी जाति माली निवासी ग्राम अडीला तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
8. श्रीमती मनभर पुत्री स्वर्गीय श्री गिरधारी पत्नी श्री राजू लाल जाति माली निवासी ग्राम अरनेठा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
9. हीरालाल दत्तक पुत्र गिरधारी जाति माली निवासी ग्राम अरनेठा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. श्रीमती कजोडी बाई बेवा स्व0 रामेश्वर जाति माली निवासी अडीला तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
2. मुकेश कुमार आत्मज स्वर्गीय रामेश्वर जाति माली निवासी अडीला तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
3. सुरेश कुमार

4. अनिता पिसरान स्वर्गीय श्री रामेश्वर नाबालिगान जरिये बविलायत माता स्वयं रेस्पोडेन्ट कम 01 श्रीमती कजोडी बाइ विधवा पत्नी श्री रामेश्वर जाति माली निवासी अडीला तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
5. गिरिराज आत्मज रामरतन जाति माली निवासी ग्राम अडीला तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
6. गोपाल आत्मज श्री लाल जाति माली निवासी अडीला तहसील के0 पाटन जिला बून्दी
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार के0 पाटन जिला बून्दी ।

––प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.10.2017 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन जिला बून्दी ।

वाद संख्याः 118/दावा/2011

1. रामेश्वर आत्मज रामरतन जाति माली निवासी अडीला तहसील के0 पाटन जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. श्रीमती कजोडी बाई बेवा स्व0 रामेश्वर जाति माली निवासी अडीला तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
   1/2. मुकेश कुमार आत्मज स्वर्गीय रामेश्वर जाति माली निवासी अडीला तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
   1/3. सुरेश कुमार
   1/4. अनिता पिसरान स्वर्गीय श्री रामेश्वर नाबालिगान जरिये बविलायत माता स्वयं रेस्पोडेन्ट कम 01 श्रीमती कजोडी बाइ विधवा पत्नी श्री रामेश्वर जाति माली निवासी अडीला तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
2. गिरिराज आत्मज रामरतन जाति माली निवासी ग्राम अडीला तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

––वादी

बनाम

1. उद्दा आत्मज धूला जाति माली निवासी ग्राम अडीला तहसील के0 पाटन जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. श्रीमती जाना बाई बेवा उद्दा जाति माली निवासी ग्राम अडीला तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
   1/2. भैरूलाल
   1/3. रामदयाल पिसरान स्वर्गीय उद्दा जाति माली निवासीगण ग्राम अडीला तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

1/4. श्रीमती बजरंगी बाई पुत्री स्वर्गीय श्री उद्दा जी पत्नी श्री धन्ना लाल जी जाति माली निवासी ग्राम अडीला तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

1/5. धापू बाई पुत्री स्वर्गीय श्री उद्दा जी पत्नपी श्री बालकिशन जाति माली निवासी ग्राम अडीला तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

1/6. श्रीमती मंजू बाई पुत्री स्वर्गीय श्री उद्दा जी पत्नी श्री प्रहलाद जी जाति माली निवीस ग्राम अडीला तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

2. गिरधारी आत्मज धूला (मृतक) जरिये कायममुकामान :–

2/1. श्रीमती गुलाब बाई पत्नी स्वर्गीय श्री गिरधारी जाति माली निवासी ग्राम अडीला तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

2/2. श्रीमती मनभर पुत्री स्वर्गीय श्री गिरधारी पत्नी श्री राजू लाल जाति माली निवासी ग्राम अरनेठा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

2/3. हीरालाल दत्तक पुत्र गिरधारी जाति माली निवासी ग्राम अरनेठा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

3. गोपाल आत्मज लाला जाति माली निवासी अडीला तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, के0 पाटन ।

5. श्रीमती लक्ष्मा बाई बेवा रामरतन जाति माली निवासी ग्राम अडीला तहसील के0 पाटन जिला बून्दी (नाम तर्क) ।

––प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.10.2017 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात... कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 27.11.2020 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री नरेन्द्र गुप्ता एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री महेश शर्मा के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.10.2017 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 27.11.2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

27/11/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा